

छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

प्रकरण क्रमांक : 207

प्रकरण क्रमांक— M-PRO-2020-01167

आवेदक :- श्री एस. अनिल कुमार, पिता—श्री एम.के. एस. पिल्लई, निवासी—मकान नं.—10, स्ट्रीट नं.—8, सेक्टर—10, भिलाई, जिला—दुर्ग (छ.ग.) विरुद्ध (1) महात्वाकांक्षी बिल्डर्स प्रा.लि., (2) सिद्धार्थ रियल एस्टेट,

प्रोजेक्ट—“मधुरिशा हाईट्स एक्सक्लूशिव फेस-3”, रिसाली, भिलाई, जिला—दुर्ग (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
06/08/2021	<p>— प्रकरण प्रस्तुत।</p> <p>— आवेदक ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से अनावेदक महात्वाकांक्षी बिल्डर्स प्रा.लि., पता—प्रगति नगर, रिसाली, भिलाई, जिला—दुर्ग (छ.ग.) के विरुद्ध परिवाद पेश किया है कि प्रोजेक्ट “मधुरिशा हाईट्स एक्सक्लूशिव फेस-3” में प्लैट नं.—136 प्रथम तल, ब्लॉक—ई, को राशि रुपये 26,60,000/- में विक्रय हेतु दिनांक 12.08.2011 को इकरारनामा निष्पादित किया गया था। आवेदक ने कुल रुपये 25,41,480/- का भुगतान नगद व चेक के माध्यम से दिनांक 08.07.2019 तक कर दिया है। अनावेदक कंपनी के भागीदारों के मध्य आपसी असहमति के कारण प्रश्नाधीन प्लैट की रजिस्ट्री आवेदक के पक्ष में निष्पादित नहीं कराये जाने के कारण आवेदन पेश किया गया है।</p> <p>प्रकरण में अनावेदक क्रमांक—1, अनावेदक क्रमांक—2 (अ) एवं अनावेदक क्रमांक—2 (ब) से लिखित जवाब व तर्क प्राप्त होकर प्रकरण में संलग्न है।</p> <p>प्रकरण में दिनांक 02.06.2021 के आवेदक पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आवेदक की मृत्यु होने की जानकारी देकर आवेदक के वैध वारिसान की ओर से आवेदन पेश करने हेतु समय देने निवेदन किया गया। प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता द्वारा दिनांक 14.07.2021 तक वैध वारिसान की ओर से आवेदन पेश नहीं किये जाने के कारण सुनवाई के दौरान प्रकरण आदेश हेतु नियत किया गया। आवेदक अधिवक्ता को वैध वारिसान की ओर से आवेदन पेश करने का समुचित अवसर प्रदान किया गया। किन्तु आवेदक पक्ष अधिवक्ता द्वारा निर्धारित समय सीमा उपरांत आदेश दिनांक 06.08.2021 तक कोई आवेदन पेश नहीं किया जा सका है। अतएव आवेदक की मृत्यु होने उपरांत वैध वारिसान की ओर से कोई भी आवेदन पेश नहीं होने के कारण प्रकरण की कार्यवाही समाप्त की गई।</p>	

छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

प्रकरण क्रमांक : 207

प्रकरण क्रमांक— M-PRO-2020-01167

आवेदक :- श्री एस. अनिल कुमार, पिता—श्री एम.के. एस. पिल्लई, निवासी—मकान नं.—10, स्ट्रीट नं.—8, सेक्टर—10, भिलाई, जिला—दुर्ग (छ.ग.) विरुद्ध (1) महात्वाकांक्षी बिल्डर्स प्रा.लि., (2) सिद्धार्थ रियल एस्टेट,

प्रोजेक्ट—“मधुरिशा हाईट्स एक्सक्लुसिव फेस-3”, रिसाली, भिलाई, जिला—दुर्ग (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
	<p>—आदेश की प्रति को प्राधिकरण के वेबपोर्टल पर अपलोड किया जावे। — प्रकरण में कार्यवाही समाप्त की जाती है। प्रकरण अभिलेख कोष्ट दाखिल किया जावे।</p> <p>सही /— (नरेन्द्र कुमार असवाल) सदस्य</p> <p>सही /— (राजीव कुमार टम्टा) सदस्य</p> <p>सही /— (विवेक ढाँड) अध्यक्ष</p>	

छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

प्रकरण क्रमांक : 207

प्रकरण क्रमांक— M-PRO-2020-01167

आवेदक :- श्री एस. अनिल कुमार, पिता—श्री एम.के. एस. पिल्लई, निवासी—मकान नं.—10, स्ट्रीट नं.—8, सेक्टर—10, भिलाई, जिला—दुर्ग (छ.ग.) विरुद्ध (1) महात्वाकांक्षी बिल्डर्स प्रा.लि., (2) सिद्धार्थ रियल एस्टेट,

प्रोजेक्ट—“मधुरिशा हार्ट्स एक्सक्लुसिव फेस-3”, रिसाली, भिलाई, जिला—दुर्ग (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
---------------------------------	---------------------	-------------------------------------

छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

प्रकरण क्रमांक : 207

प्रकरण क्रमांक— M-PRO-2020-01167

आवेदक :- श्री एस. अनिल कुमार, पिता—श्री एम.के. एस. पिल्लई, निवासी—मकान नं.—10, स्ट्रीट नं.—8, सेक्टर—10, भिलाई, जिला—दुर्ग (छ.ग.) विरुद्ध (1) महात्वाकांक्षी बिल्डर्स प्रा.लि., (2) सिद्धार्थ रियल एस्टेट,

प्रोजेक्ट—“मधुरिशा हार्ट्स एक्सक्लुसिव फेस-3”, रिसाली, भिलाई, जिला—दुर्ग (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
---------------------------------	---------------------	-------------------------------------